न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 36/2024 निर्णय दिनांक 21.10.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/92

रामलाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि वादी के पिता हेमा उर्फ हेमाराम पुत्र हनुमान व दादी पेमा पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1195 तादादी 8.1700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 742 तादादी 13.7700 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में स्थित रहे है। वादी के पिता हेमाराम व दादी पेमा की मृत्यु के बाद वादगत खेतों में हेमाराम के वारिसान वादी व वादी के भाइयों सूरजाराम, परमाराम, भींयाराम, कन्हैयालाल के नाम जरिये विरास्तन व हकत्याग इन्तकाल संख्या 829 दिनांक 05.07.2011 को बहिस्सा बराबर के रूप से खातेदारी दर्ज हो गई, फिर वादी व वादी के भाइयों ने उपरोक्त खेतों का आपस में विभाजन कर लिया जिस पर खसरा नम्बर 1195 में 4.0800 भूमि वादी के हिस्से में रखी गई। बाद विभाजन वादी के हिस्से पांति के नये खसरा नम्बर 2256/1195 तादादी 4.0800 हैक्टेयर कायम हो गये। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी के नाम वादी के पिता हेमाराम व दादी पेमा की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुई है । वादी के पिता हेमाराम व दादी पेमा की मृत्यु के बाद विरास्तन व हकत्याग इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम बोलता नाम रामूराम दर्ज करा दिया गया। विरास्तन/हकत्याग इन्तकाल दर्ज करते समय वादी से किसी प्रकार की कोई आई. डी नहीं ली गई थी और वादी को घर परिवार आदि में उनके बोलते नाम व लाड प्यार के नाम रामूराम दर्ज करा दिया गया जो कि सही नहीं था। वादी केवल साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है । वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजात यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता, जनआधार, राशन कार्ड बने तो उसमें वादी का नाम रामलाल अंकित करा दिया गया जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकॉर्ड अनुसार नाम रामलाल है। वादी ने जब उपरोक्त खसरा की भूमि की जमाबंदी व इन्तकाल आदि की नकले दिनांक 26.12.2023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:05 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि उनके पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2256/1195 वाकेरोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से रामूराम अंकित कर रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही रामलाल रहा है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित चला आ रहा है । वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में उसका सही नाम रामलाल के नाम से अंकित है । उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में रामलाल पुत्र हेमाराम या रामूराम पुत्र हेमाराम जाति जाट के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत मोमासर द्वारा भी दिनांक 31.01.2024 को प्रमाण पत्र जारी किया है । वर्णित खसरा भूमि वादी पर का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादी का गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने, विक्रय, हस्तान्तरण करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहा है। वादगत खेत में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने दिनांक 31.01.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम रामलाल पुत्र हेमाराम है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम रामूराम पुत्र हेमाराम अंकित कर दिया गया है जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोघणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी वादगत खेत का खातेदार काबिज काश्तकार होने व वादगत खेत वादी की पैतृक खातेदारी का होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक प्राप्ति का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] ली गई है। वादगत खेत में वादी के नाम में संशोधन होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।वादगत खेत रोही मौजा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है [illegible] सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार [illegible] के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 2256/1195 तादादी 4.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामूराम पुत्र हेमाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उनके सही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 2256/1195 तादादी 4.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामूराम पुत्र हेमाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर सही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मुकदमा नम्बर 36/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक
निर्णय दिनांकः २१.१०.२०२५

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 2256/1195 तादादी 4.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामूराम पुत्र हेमाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर सही नाम रामलाल पुत्र हेमाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक२१ माह १० सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:05 IST
Reason: SelfAttested